न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या :– 174/2019

जसकौर पत्नी अजायब सिंह जाति जट सिख निवासी साहिबसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री सुखविन्द्र सिंह गिल अधिवक्ता –प्रार्थीया
2. पैरोकार राज –अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– दिनांक :–17.02.2020

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.75 के गुरबचन सिंह पुत्र कौर सिंह से चक 24 जैड तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 30 के किला न0 15 का 10 बिस्वा, किला न0 16,25 सालम व मु0 न0 31 का किला न0 16 ता 20 कुल 7 बीघा 10 बिस्वा ख़रीद की, तब से अब तक प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है, बैयनामा की नकल शामिल है, बैयनामा में प्रार्थीया का सही नाम जसवीर कौर दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त आराजी का इंतकाल सं0 17/03.06.76 को ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला द्वारा दर्ज किया गया तथा इंतकाल के खाना सं0 11 में भी प्रार्थीया का नाम जसवीर कौर ही दर्ज है, इंतकाल की नकल शामिल है। बाद में जमाबंदी संवत् 2039 बनाते समय कर्मचारीगण माल की गलती से प्रार्थीया का नाम जसवीर कौर के स्थान पर जस कौर दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम जसवीर कौर है, उसका आधार कार्ड सं0 6282 3629 5466 तथा पहचान पत्र सं0 आर जे/01/007/288212 तथा राशन कार्ड सं0 00247 बने हुए है, जिनकी नकलें शामिल है, जिनमें भी प्रार्थीया का नाम जसवीर कौर दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट है कि कर्मचारीगण माल की गलती से जमाबंदी संवत् 2039 व उसके बाद की जमाबंदियो में जसवीर कौर के स्थान पर क्लेरिकल मिस्टेक से जसकौर दर्ज हो गया है, जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अन्य कोई हिस्सेदार प्रभावित नहीं है, क्योंकि उनकी भूमि उनके नाम ही दर्ज रहेगी, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अप्रार्थी को दुरूस्ती का आग्रह करने पर गत सप्ताह स्पष्ट कहा गया कि अदालत का आदेश लाने पर ही दुरूस्ती हो सकेगी, अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीया के उपरोक्त चक 24 जैड तह0 श्रीगंगानगर के संवत् 2039 के खाता सं0 23/22 में तथा इसके बाद की जमाबंदियों में दुरूस्ती करते हुए जस कौर के स्थान पर जसवीर कौर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान जमाबंदी सम्वर्त 2069–2072 खाता संख्या 27/25 में जसकौर पत्नी अजायबसिंह 1.897 हैक. दर्ज है। जरिये ई नं. 17 में जसवीर कौर पत्नी अजायबसिह 150 हिस्सा दर्ज हुआ। सम्वत् 2039–2042 की जमाबंदी बनाते समय जसवीर कौर की बजाय जसकौर पत्नी अजायबसिंह जाति जटसिख हो गया है। अतः शुद्धि

की जानी उचित है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया द्वारा जमाबंदी सम्वर्त 2069–2070 ख़ाता संख्या 27/25 पटवार हलका साहिबसिंह गिरदावर सर्किल 18 जैड, एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 03.02.1975, जमाबंदी 2039 से चक 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 23/22 एवं अपना मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की। जिनका अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का नाम मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड में जसवीर कौर है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीया का नाम जसकौर से जसवीर कौर किये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में कथन किया है। अतः तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगागनर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को चक 24 जैड तह0 श्रीगंगानगर के संवत् 2039 के खाता सं0 23/22 में तथा इसके बाद की जमाबंदियों में दुरूस्ती करते हुए जस कौर के स्थान पर जसवीर कौर दर्ज करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested